


27/4/22

पत्रावली पेश हुई। प्राची व अप्राची
संख्या 1 से 3 आवे उपस्थित/माननीय
राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण
के सम्बन्ध में वज्र अपील संख्या 2020/141
को दिनांक 26/2/2022 को निर्णित किया
गया है। जिसमें उभयपक्षकारण की सुनवाई
की जा चुकी है। अतः उक्त निर्णय को
मूल वाद के निस्तारण तक अन्तिम
माना जाकर प्रा पत्र अन्तर्गत धारा
212 राज. कर अधि. का निस्तारण
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नवी मूल पत्रावली है।

डि


(D.L. Bisani)
27/04/2022

@paves

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)